



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.10.2026

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 प्लास्टिक के बोरे में अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद ।

दिनांक 27.10.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ अभियुक्त विजय पुत्र राज कुमार निवासी सर्राफा मार्केट वाली गली चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद को थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 03 प्लास्टिक के बोरे में अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद हुए । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर तत्काल विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा- 9बी(1) (बी) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं आगामी त्यौहारों पर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से सड़क किनारे चोरी-छिपे अवैध पटाखे बेचने का कार्य करता हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

विजय पुत्र राज कुमार निवासी सर्राफा मार्केट वाली गली चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 44 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण -

03 प्लास्टिक के बोरे में 33 पैकेट गत्ते के छोटे पैकेट, 02 डिब्बे गत्ते कार्टून जिसमें अवैध आतिशबाजी पटाखे, 02 पेटी गोल्डन ईगल, 03 पेटी ताज महल 1K, 04 पेटी मुर्गा छाप 2K, 02 पेटी स्काई शोट डाक्टर स्पट्रेज, 03 पेटी जसमार्इन फ्लावर, 06 पेटी कलर पिंजर डिलक्स, 01 पेटी आर्मर वार, 03 पेटी डिलाइट 12 सैट, 03 पेटी मेडिकल क्वीन 30 शाट, 06 पेटी पंच औतार व अलग-अलग कम्पनी की फुलझड़ी बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर विस्फोटक अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम ।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 40 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आज दिनांक 28.10.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त संजय कुमार पुत्र गिरिराज सिंह निवासी रोरी रेलवे फाटक के पास कादराबाद थाना मोदीनगर गाजियाबाद को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 किलो 40 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मोदीनगर पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह अवैध गांजा मेरठ से खरीदकर लाता हूँ तथा छोटी-छोटी पुडिया बनाकर राह चलते लोगों को बेच देता हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजय कुमार पुत्र गिरिराज सिंह निवासी रोरी रेलवे फाटक के पास कादराबाद थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 50 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

01 किलो 40 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पूर्व में थाना मोदीनगर पर 03 अभियोग आबकारी अधिनियम व 01 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम ।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है । जिसके क्रम में आज दिनांक **28.10.2026** दिन बुधवार को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया ।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया। इस दौरान सम्बन्धित सर्किल **सहायक पुलिस आयुक्त** भी अपने-अपने थानों पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 28.10.2026 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
1.	नगर	134
2.	ट्रांस हिण्डन	130
3.	ग्रामीण	92
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		356

पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की मोटर साईकिल व एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 28.10.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटर साईकिल चोरी करने वाला अभियुक्त आशिक उर्फ आसिफ पुत्र जफरू निवासी K ब्लॉक गली नम्बर 03 सुन्दर नगरी दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष को मोरटी बाईपास से स्टेडियम जाने वाली सड़क से थाना नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर UP13CM9084 बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली जनपद बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0-1079/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब यह मोटर साईकिल मैंने अपना खर्चा चलाने व नशा करने के लिए बुलन्दशहर से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त आशिक उर्फ आसिफ पुत्र जफरू निवासी के ब्लॉक गली नम्बर 3 सुन्दर नगरी दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष
बरामदगी का विवरण-

एक अदद मोटर साईकिल न0- UP13CM9084

एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त आशिक उर्फ आसिफ उपरोक्त थाना वेव सिटी पर 03 अभियोग चोरी/बरामदगी संबंधी व थाना नन्दग्राम पर 02 मुकदमें चोरी /आर्म्स एक्ट संबंधी व थाना मधुबन बापूधाम पर 01 अभियोग चोरी संबंधी व थाना खोडा पर 06 अभियोग चोरी/बरामदगी संबंधी व थाना कोतवाली पर 04 अभियोग चोरी/बरामदगी /गैंगस्टर एक्ट संबंधी व थाना कविनगर पर 03 अभियोग चोरी /बरामदगी संबंधी व थाना मसूरी पर 01 अभियोग आर्म्स एक्ट संबंधी व थाना साहिबाबाद पर 04 अभियोग चोरी संबंधी व थाना सिहानी गेट पर 01 अभियोग आर्म्स एक्ट संबंधी व थाना विजय नगर पर 01 अभियोग बरामदगी संबंधी कुल 26 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

कमिश्नर गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्षन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्षन सेल' द्वारा अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके क्रम में आज दिनांक 28.10.2026 को थाना साहिबाबाद, कमिश्नर गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 302 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त प्रदीप नाई पुत्र बालू निवासी बालाजी विहार, थाना साहिबाबाद, कमिश्नर गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), गाजियाबाद द्वारा धारा- 302 भादवि में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा- 3(2)V एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विवेचक डा0 श्री राकेश कुमार मिश्रा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ साहिबाबाद गाजियाबाद द्वारा उक्त अभियोग की साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की गई। 'कन्विक्षन सेल' से सतत् समन्वय के साथ वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री अखिलेश कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को मा0 न्यायालय से सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अभियुक्त द्वारा वादिया के पति के सीने में कैंची घोप कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर दिनांक 08.11.2018 को उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

		
श्री अखिलेश कुमार वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी	आरक्षी प्रताप सिंह पैरोकार कन्विक्षन सेल	मु0आ0 धीरेन्द्र सिंह पैरोकार थाना साहिबाबाद

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 29.07.2026 को थाना अंकुर विहार पर वादी की प्राप्त तहरीर कि वादी द्वारा अंकुर एन्क्लेव स्थित अपने मकान को सुभाष जैन को किराये पर देना, अभियुक्त सुभाष जैन द्वारा धोखाधड़ी करके वादी के मकान के फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उस पर कब्जा कर लेना तथा जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर सुसंगत धारा-318(4)/338/336(3)/340(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 28.10.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुभाष जैन पुत्र सुखमाल जैन निवासी अंकुर एन्क्लेव फेस-2, लोनी थाना अंकुर विहार

गाजियाबाद, उम्र करीब 51 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने वादी का अंकुर एन्क्लेव स्थित मकान को किराये पर लिया था तथा किरायेनामा तैयार कर 02 वर्ष तक वादी को किराया दिया था उसके बाद किरायेनामा में लगे वादी के कागजात व फोटो का प्रयोग करके मैंने उक्त मकान के फर्जी कूटरचित दस्तावेज अपने नाम तैयार करा लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सुभाष जैन पुत्र सुखमाल जैन निवासी अंकुर एन्क्लेव फेस-2 लोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 51 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा पूर्व में झगड़े का 01 अभियोग थाना लोनी पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद और थाना खेकड़ा जनपद बागपत से बावरिया गिरोह का वांछित कुख्यात अपराधी, दोनो जनपदों से 50-50 हजार रु0 (कुल 01 लाख रुपये) का ईनामी अपराधी धर्मेन्द्र उर्फ टिंडी उर्फ टिड्डी पुत्र इन्द्रपाल निवासी 54 बीघा गोपाल फार्महाउस निठौरा रोड थाना लोनी जनपद गाजियाबाद, मूल पता ग्राम बुरावली थाना आदमपुर जनपद अमरोहा पुलिस मुठभेड में ढेर।

- दिनांक 08.11.2024 को थाना खेकड़ा जनपद बागपत क्षेत्र में रात्रि के समय घर में घुसकर चोरी की गयी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा जनपद बागपत पर मु0अ0सं0 388/2024 धारा 305/324(4)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर उक्त चोरी की घटना में धर्मेन्द्र उर्फ टिंडी उर्फ टिड्डी पुत्र इन्द्रपाल निवासी 54 बीघा गोपाल फार्महाउस निठौरा रोड थाना लोनी जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम बुरावली थाना आदमपुर जनपद अमरोहा का नाम प्रकाश में आया था।
- दिनांक 27.06.2025 को थाना खेकड़ा जनपद बागपत क्षेत्र में अज्ञात लोगों के द्वारा रात्रि के समय घर में घुसकर चोरी की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा जनपद बागपत पर मु0अ0सं0 202/2025 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर उक्त चोरी की घटना में धर्मेन्द्र उर्फ टिंडी उर्फ टिड्डी उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया था।
- पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र मेरठ द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त की गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है।
- दिनांक 29.06.2025 को थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद क्षेत्र में रात्रि के समय कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा वादी मुकदमा के घर में लूट की नियत से घुसकर मारपीट व चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 191/2025 धारा

115(2)/118(1)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना संकलित साक्ष्यों के आधार पर उक्त घटना में पुनः धर्मेन्द्र उर्फ टिंडी उर्फ टिड्डी का नाम प्रकाश में आया था।

- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा भी अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ टिंडी उर्फ टिड्डी की गिरफ्तारी पर 50,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया है। अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ टिड्डी पर उपरोक्त मुकदमों के अतिरिक्त लूट, डकैती, गैंगस्टर आदि के 15 अन्य अभियोग भी पंजीकृत है।
- वर्ष 2019 में भी धर्मेन्द्र उर्फ टिड्डी उपरोक्त पर जनपद शामली से 15 हजार रूपये व गाजियाबाद से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित हुआ था। वर्ष 2019 में भी अभियुक्त धर्मेन्द्र को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी थी।
- अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त की आपराधिक घटनाओं में लगातार संलिप्तता के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त, कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा उक्त घटनाओं के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अपराध शाखा (Crime Branch) को निर्देशित किया गया था।
- आज दिनांक 28.10.2026 को अपराध शाखा (Crime Branch) गाजियाबाद द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त को थाना निवाडी क्षेत्र में हुई एक साहसिक मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। उक्त मुठभेड़ में 03 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

● घटना क्रम (दिनांक 28.10.2026)

आज दिनांक: 28/10/2026 को प्रभारी अपराध शाखा (ऑपरेशन टीम) गाजियाबाद को जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ टिंडी उर्फ टिड्डी अपने साथियों के साथ थाना निवाडी क्षेत्र में गंगनहर वाले रास्ते से कहीं जाने वाला है। इस सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए स्वाट टीम द्वारा गंगनहर की पटरी पर मेरठ जाने वाले रास्ते के सामने घेराबन्दी की गई। समय करीब 06 बजे गाजियाबाद की ओर से एक बाइक आती दिखाई दी जिस पर तीन व्यक्ति सवार थे, जिनको रोकने का प्रयास करने पर बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा रुकने की बजाय तेज रफ्तार में बांयी ओर मुड़ गये तथा गंगनहर पटरी पर मेरठ की ओर भागने लगे जिनका पीछा अपराध शाखा ऑपरेशन टीम के द्वारा किया गया। थोड़ा आगे जाकर बाइक को बांयी ओर कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण बाइक फिसल गयी जिससे उक्त बदमाश बाइक सहित गिर गये। इसके उपरान्त बदमाशों द्वारा बाइक छोड़कर पेड़ों की आड़ लेकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किये गये बदमाशों की फायरिंग में 03 पुलिसकर्मी हैं0का0 अमित कुमार, हैं0का0 विनीत कुमार व हैं0का0 हिमान्शु मलिक बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गये तथा 01-01 फायर उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार व हैं0का0 वरुण वीर सिंह की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगा तथा बदमाशों द्वारा किये गये एक फायर प्रभारी अपराध शाखा ऑपरेशन टीम निरीक्षक श्री अनिल कुमार के कान के पास से गया जिससे वो बाल-बाल बच गये। जान बचाने का अन्य कोई विकल्प न बचने पर पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। तथा अन्य 02 बदमाश भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर भाग गये, घायल बदमाश तथा घायल पुलिस कर्मियों को उपचार हेतु तत्काल नजदीकी सीएचसी मुरादनगर भेजा गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद ईलाज हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया जहाँ पर ईलाज के दौरान चिकित्सकों द्वारा घायल बदमाश को मृत घोषित कर दिया गया। बदमाश की शिनाख्त धर्मेन्द्र उर्फ टिंडी उर्फ टिड्डी पुत्र इन्द्रपाल निवासी 54 बीघा गोपाल फार्महाउस निठौरा रोड थाना लोनी जनपद गाजियाबाद के रूप में हुई है।

● **बरामदगी का विवरण:-**

1. 02 अदद पिस्टल .32 बोर मय 02 अदद मैगजीन
2. जिंदा कारतूस .32 बोर 03 अदद
3. खोखा कारतूस .32 बोर 12 अदद
4. जिंदा कारतूस .315 बोर 02 अदद
5. खोखा कारतूस .315 बोर 03 अदद
6. बाइक स्पलैंडर रंग काला बिना नम्बर प्लेट (दिल्ली से चोरी)
7. नगद 2250 रुपये

● **अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ टिंडी उर्फ टिड्डी का आपराधिक इतिहास:-**

- मु0अ0सं0-69/2017 धारा 382,411 भादंवि थाना गढ़ीपुक्ता जनपद मुजफ्फरनगर
- मु0अ0सं0-81/2017 धारा 457,380,411 भादंवि थाना गढ़ीपुक्ता जनपद मुजफ्फरनगर
- मु0अ0सं0-96/2017 धारा 457,380,411 भादंवि थाना गढ़ीपुक्ता जनपद मुजफ्फरनगर
- मु0अ0सं0-357/2017 धारा 395,397 भादंवि थाना भवन जनपद मुजफ्फरनगर
- मु0अ0सं0-141/2017 धारा 457,380,411 भादंवि थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली
- मु0अ0सं0-294/2017 धारा 380,411 भादंवि थाना कांधला जनपद शामली
- मु0अ0सं0-347/2017 धारा 457,380,411 भादंवि थाना कांधला जनपद शामली
- मु0अ0सं0-369/2017 धारा 457,380,411 भादंवि थाना कांधला जनपद शामली
- मु0अ0सं0-864/2019 धारा 392 भादंवि थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद
- मु0अ0सं0-1667/2019 धारा 414 भादंवि थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद
- मु0अ0सं0-1665/2019 धारा 307 भादंवि थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद
- मु0अ0सं0-1666/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद
- मु0अ0सं0-280/2019 धारा 382 भादंवि थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद
- मु0अ0सं0-1995/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद
- मु0अ0सं0-191/2025 धारा 115(2)/118(1)/109(1) बीएनएस थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद
- मु0अ0सं0-388/2024 धारा 305/324(4)/331(4) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत
- मु0अ0सं0-202/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत

उपरोक्त मुठभेड के सम्बन्ध में थाना निवाडी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।